# सराहनीय कार्य
## इटावा पुलिस

उत्तर प्रदेश 112 आपात सेवाएं

**प्रेस नोट- दिनांक 15.05.2026**

**#CRACKDOWN**

- **इटावा पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़।**
- **इटावा पुलिस द्वारा 01 हिस्ट्रीशीटर (13B)/वांछित अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार,**
- **कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जिंदा कारतूस व 02 खोखा 315 बोर तथा 02 मोबाइल, 01 हॉकी, 01 कार(क्रेटा) बिना नम्बर प्लेट बरामद।**

**अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण एवं अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण श्री श्रीशचन्द्र के मार्गदर्शन व क्षेत्राधिकारी सैफई श्री कुशल पाल सिंह के नेतृत्व में थाना चौबिया पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।**

**घटना /गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-**

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु **वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव** के निर्देशन में दिनांक 15.05.2026 को थाना चौबिया पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत थुलरई - बीना मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग की जा रही थी। इसी दौरान आपराधिक अभिसूचना प्राप्त हुयी कि 01 व्यक्ति क्रेटा कार से सैफई से बीना, हाजीपुर होते हुये कुर्रा मैनपुरी जा रहा है। सूचना पर पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 क्रेटा कार आती दिखाई दी जिसे पुलिस टीम द्वारा रुकने का इशारा किया तो कार सवार कार को कीरतपुर की ओर मोड़कर भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा कार सवार का पीछा किया गया तो कार अनियंत्रित होकर झांड़ियो से टकरा गयी। कार सवार द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर फायरिंग की गयी। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग मे **अभियुक्त अरुण उर्फ लऊवा पुत्र रामाधार उर्फ रामलखन के दाहिनें पैर मे गोली लगी जिसे घायल अवस्था मे 01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जिंदा कारतूस, 02 खोखा कारतूस 315 बोर, 02 मोबाइल, 01 हॉकी व 01 कार (क्रेटा) सहित गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अरुण उर्फ लऊवा थाना सैफई से हिस्ट्रीशीटर (13B) है।**

**घायल अभियुक्त अरुण उर्फ लऊवा को उपचार हेतु अस्पताल भिजवाया गया है।**

**पुलिस पूछताछः-**

गिरफ्तार अभियुक्त से पुलिस टीम द्वारा पूछताछ करते हुये तलाशी ली गयी तो उसके कब्जे से **01 अवैध तमंचा 315 बोर, 03 जिंदा कारतूस व 02 खोखा 315 बोर तथा 02 मोबाइल, 01 हॉकी, 01 कार(क्रेटा) बरामद की गयी।** पुलिस टीम द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर अभियुक्त द्वारा बताया गया कि दिनांक 20.04.2026 को थाना चौबिया क्षेत्रान्तर्गत उनबा संतोषपुर में हुयी घटना मेरे व मेरे अन्य साथियों द्वारा कारित की गयी थी। उक्त घटना के संबंध मे थाना चौबिया पर **मु0अ0सं0 57/2026 धारा 109/132 बीएनएस व धारा 52/26 भारतीय वन अधिनियम** पंजीकृत है।

**उक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के संबंध मे थाना चौबिया पर मु0अ0सं0 75/2026 धारा 109(1) बीएनएस (पु0मु0) व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।**

***बरामद क्रेटा कार को धारा 207 एमवीएक्ट मे सीज किया गया।***

**गिरफ्तार अभियुक्त-**

1. अरुण उर्फ लऊवा पुत्र रामाधार उर्फ रामलखन निवासी ग्राम भदेही थाना चौबिया जनपद इटावा उम्र करीब 34 वर्ष ।

**आपराधिक इतिहासः-**

**अरुण उर्फ लऊवा पुत्र रामाधार उर्फ रामलखन(HS- 13B)**

1. मु0अ0सं0 253/20 धारा 147/195(ए)/323/342/504/506 भादवि थाना सैफई जनपद इटावा।
2. मु0अ0सं0 65/25 धारा 115(2)/333/351(3)/352 बीएनएस थाना सैफई जनपद इटावा।
3. मु0अ0सं0 22/23 धारा 323/504/506 भादवि थाना वैदपुरा जनपद इटावा।
4. मु0अ0सं0 488/17 धारा 420/506 भादवि थाना सिविल लाइन जनपद इटावा।
5. मु0अ0सं0 27/19 धारा 147/148/149/307/323/452/506 भादवि थाना सैफई जनपद इटावा।
6. मु0अ0सं0 45/2019 धारा 10/3 उत्तर प्रदेश गुंडागर्दी नियंत्रण अधिनियम थाना सैफई जनपद इटावा।
7. मु0अ0सं0 44/19 धारा 21/22 स्वापक औषधि व मनःप्रभावी पदार्थ अधि0 थाना सैफई जनपद इटावा।
8. मु0अ0सं0 115/25 धारा 115(2)/117(2)/351(2)/352 बीएनएस थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा।
9. मु0अ0सं0 57/2026 धारा 113/109 बीएनएस व धारा 26/52 भारतीय वन अधिनियम थाना चौबिया जनपद इटावा।
10. मु0अ0सं0 75/2026 धारा 109(1) बीएनएस (पु0मु0) व धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चौबिया जनपद इटावा।

**पंजीकृत अभियोग-**

1. मु0अ0सं0 75/2026 धारा 109(1) (पु0मु0) बीएनएस धारा 3/25/27 आर्म्स एक्ट थाना चौबिया जनपद इटावा।

**बरामदगीः-**

1. 01 अवैध तमंचा 315 बोर।
2. 02 खोखा कारतूस 315 बोर।
3. 03 जिंदा कारतूस 315 बोर।
4. 01 हॉकी
5. 01 कार क्रेटा **बिना नं0 प्लेट** **(एमवी एक्ट की धारा 207 में सीज)**

**पुलिस टीम-** थानाध्यक्ष चौबिया श्री महेन्द्र सिंह मय टीम।